



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 22 जुलाई, 1974

आषाढ़ 31, 1896 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2344/17-वि-1--67-74

लखनऊ, 22 जुलाई, 1974

अधिसूचना  
द्विदिघ

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 18 जुलाई, 1974 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

[उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1974)

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

- 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम
- 2—संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 की धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द "पञ्चहत्तर प्रतिशत" तथा "शत प्रतिशत" के स्थान पर क्रमशः शब्द "अस्सी प्रतिशत" तथा "एक सौ दस प्रतिशत" रख दिये जायें। यू० पी० ऐक्ट संख्या 8, 1937 की धारा 3 का संशोधन

No. 2344(2)/XVII-V-1—67-74

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Amod Tatha Pankar (Sanshodhan) Adhinyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 21 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 18, 1974:

**THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX (AMENDMENT)  
ACT, 1974**

(U. P. Act No. 21 of 1974)

[AS PASSED BY THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE]

AN  
ACT

*further to amend the United Provinces Entertainments and Betting Tax  
Act, 1937*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

*Short title.*

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1974.

*Amendment of  
section 3 of  
U. P. Act VIII  
of 1937.*

2. In section 3 of the United Provinces Entertainments and Betting Tax Act, 1937, in sub-section (1), for the words "seventy-five per cent" and "cent per cent", the words "eighty per cent" and "one hundred and ten per cent" shall respectively be substituted.

ब्राना से,

कलाश नाथ गोयल,  
सचिव।